BANM 163: भारत की जनजातीय संस्कृतियाँ

(अनुशिक्षक चिंहित सत्रीय–कार्य)

(TMA)

कोर्स कोड: बीएएनएम 163

असाइनमेंट कोड: BANM 163/ASST/TMA/ जुलाई 2026-जनवरी 2027

कुल अंक: 100

सत्रीय कार्य में दो अनुभाग हैं। आपको दोनों अनुभागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

सत्रीय कार्य – I

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। 2X20 = 40

क. जनजाति की परिभाषा दीजिए। भारत में विमुक्त, घुमंतू तथा अर्द्ध–घुमंतू जनजातियों की विवेचना कीजिए।

ख. भारत में निर्माणात्मक तथा विश्लेषणात्मक चरणों के दौरान लिखे गए जनजातीय मोनोग्राफों का परीक्षण कीजिए।

सत्रीय कार्य – II

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। (संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए) 3X10 =30

क. भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान एवं संरक्षण उपाय क्या हैं? उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए।

ख. भारत की जनजातियों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

ग. प्रवासन, भूमि अलगाव, ऋणग्रस्तता तथा ऋण बंधन जनजातीय आबादी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। **6X5 = 30**

क. संथाल विद्रोह

ख. कृषि एवं रोजगार में जनजातीय महिलाएँ

ग. एफ. जी. बेली तथा जनजाति–जाति सातत्य

घ. जनजातियों में मद्यपान से संबंधित समस्याएँ

ड़. जनजातियों में धर्म एवं जादू

च. स्वदेशी समुदाय

क. जनजाति की परिभाषा दीजिए। भारत में विमुक्त, घुमंतू तथा अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों की विवेचना कीजिए।

उत्तर

भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय समुदायों का विशेष स्थान है। जनजाति सामान्यतः ऐसे समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों में किसी क्षेत्र, साझा इतिहास, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक संबंधों और सामूहिक पहचान के आधार पर अपनत्व पाया जाता है। इनकी अपनी बोलियाँ, रिश्तेदारी के नियम, धार्मिक विश्वास और आजीविका के तौर-तरीके हो सकते हैं। हालाँकि सभी जनजातियों का जीवन समान नहीं होता; अनेक समुदाय शहरों, खेतिहर क्षेत्रों और बाजारों से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इसलिए जनजाति की पहचान केवल जंगल में रहना, अलग-थलग होना या किसी एक पेशे से नहीं की जा सकती।

जनजाति की अवधारणा और भारतीय संदर्भ

मानवशास्त्रीय दृष्टि से जनजाति सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक पहचान की एक ऐतिहासिक श्रेणी है। किसी समुदाय में वंश, कुल, विवाह-संबंध, परंपरागत नेतृत्व तथा साझा रीति-रिवाज उसके संगठन को आकार दे सकते हैं। परंतु आधुनिक परिस्थितियों में शिक्षा, प्रवासन, राजनीतिक संगठन तथा अन्य समुदायों से संपर्क के कारण ये विशेषताएँ बदलती रहती हैं। भारत में ‘अनुसूचित जनजाति’ एक संवैधानिक-प्रशासनिक श्रेणी भी है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुदायों को अधिसूचित किया जाता है। प्रत्येक सांस्कृतिक जनजाति का अनुसूचित जनजाति सूची में होना आवश्यक नहीं है; इसी प्रकार घुमंतू या विमुक्त होना अपने-आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देता। यह अंतर समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विमुक्त जनजातियाँ: ऐतिहासिक अन्याय से जुड़ी पहचान

विमुक्त समुदायों को अंग्रेज़ी में डिनोटिफाइड ट्राइब्स या डीएनटी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 और उसके बाद के प्रावधानों के अंतर्गत अनेक समुदायों को सामूहिक रूप से अपराधी होने के संदेह में अधिसूचित कर दिया था। किसी व्यक्ति के वास्तविक आचरण के बजाय जन्म और समुदाय के आधार पर निगरानी, आवाजाही पर रोक और